

न्यायालय-श्रीमती विनीता गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला सीहोर (म0प्र0)

क्रमांक :- 551/मु.न्या.म./2025

सीहोर, दिनांक 29/08/2025

॥ आ दे श ॥

इस आदेश द्वारा नीचे उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर/आष्टा/नसरुल्लागंज/बुदनी/इछावर को उनके नाम के समक्ष **माह सितम्बर, अक्टूबर 2025** में दर्शित अवकाश की तिथियों में रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक कार्य संपादित किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नांकित दर्शित तिथियों को अपरान्ह 3:00 बजे से 5:00 बजे तक उनके न्यायालय में आसीन होकर रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य संपादित करेंगे।

(माह अक्टूबर में दशहरा, दीपावली अवकाश में रिमांड ड्यूटी का समय 02:00 बजे से 04:00 बजे तक रहेगा।)

सीहोर

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	माह-सितम्बर	माह-अक्टूबर
1.	श्री दीपेंद्र मालू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	14.09.2025	18.10.2025 19.10.2025
2.	सुश्री श्वेता रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	—	01.10.2025 02.10.2025 12.10.2025 26.10.2025
3.	श्रीमती उजाला शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	20.09.2025	21.10.2025 22.10.2025 23.10.2025
4.	सुश्री शिवानी श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	—	03.10.2025 04.10.2025 05.10.2025
5.	श्रीमती हितैशी भदौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	21.09.2025 28.09.2025 30.09.2025	—
6.	सुश्री आकांक्षा कुमार उचाड़िया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	05.09.2025 06.09.2025 07.09.2025	20.10.2025

आष्टा :-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	माह-सितम्बर	माह-अक्टूबर
7.	श्री नदीम जावेद खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा, जिला सीहोर	—	18.10.2025 19.10.2025 20.10.2025 21.10.2025 22.10.2025 23.10.2025 26.10.2025
08.	श्रीमती ऋचा जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा, जिला सीहोर	05.09.2025 06.09.2025 07.09.2025 14.09.2025 20.09.2025 21.09.2025	12.10.2025
09.	श्रीमती ऋचा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा, जिला सीहोर	28.09.2025 30.09.2025	01.10.2025 02.10.2025 03.10.2025 04.10.2025 05.10.2025

नसरुल्लागंज

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	माह-सितम्बर	माह-अक्टूबर
10	श्रीमती प्रगति मिश्रा सनमोरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नसरुल्लागंज	05.09.2025 06.09.2025	12.10.2025 18.10.2025 19.10.2025 20.10.2025 26.10.2025
11	श्रीमती अनुराधा गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नसरुल्लागंज	07.09.2025 28.09.2025 30.09.2025	01.10.2025 21.10.2025 22.10.2025 23.10.2025
12	श्री ईशान ढेंगुला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नसरुल्लागंज, जिला सीहोर	14.09.2025 20.09.2025 21.09.2025	02.10.2025 03.10.2025 04.10.2025 05.10.2025

बुदनी

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	माह-सितम्बर	माह-अक्टूबर
------	-----------------------	-------------	-------------

13	सुश्री सपना शिवहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुदनी, जिला सीहोर	05.09.2025	18.10.2025
		06.09.2025	19.10.2025
		07.09.2025	20.10.2025
		28.09.2025	21.10.2025
			22.10.2025
14	सुश्री मिताली पाठक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुदनी, जिला सीहोर	14.09.2025	01.10.2025
		20.09.2025	02.10.2025
		21.09.2025	03.10.2025
		30.09.2025	04.10.2025
			05.10.2025
			12.10.2025
			26.10.2025

इछावर

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	अवकाश की तिथियां
15	श्रीमती प्राची समाधिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इछावर, जिला सीहोर	माह-सितम्बर एवं अक्टूबर के सभी अवकाश दिवस में। नोट :- उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर होने पर उनके रिमांड का आवश्यक कार्य सीहोर में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।

नोट :-

1- उक्त शासकीय अवकाश के अतिरिक्त यदि कोई अवकाश दिवस घोषित होता है तो :-

सीहोर :-

माह सितम्बर एवं अक्टूबर में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर मुख्यालय पर उपस्थित कनिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर के द्वारा रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।

तहसील आष्टा :-

माह सितम्बर एवं अक्टूबर में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर तहसील पर उपस्थित कनिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर के द्वारा रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।

तहसील नसरुल्लागंज :-

माह सितम्बर एवं अक्टूबर में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर तहसील पर उपस्थित कनिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर के द्वारा रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।

तहसील बुदनी :-

माह सितम्बर एवं अक्टूबर में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर तहसील पर उपस्थित कनिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर के द्वारा रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।

तहसील इछावर :-

- माह सितम्बर एवं अक्टूबर में कोई अवकाश दिवस या लॉकडाउन घोषित होने पर तहसील इछावर में पदस्थ मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।

2- बुदनी मजिस्ट्रेट के अनुपलब्ध होने पर वहां का रिमांड कार्य नसरुल्लागंज में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा और उनके भी उपलब्ध न होने पर सीहोर में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जायेगा।

3- नसरुल्लागंज में मजिस्ट्रेट के उपलब्ध न होने पर वहां का रिमांड कार्य बुदनी में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा और उनके भी उपलब्ध न होने पर सीहोर में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।

4- इछावर मजिस्ट्रेट के उपलब्ध न होने पर उनका रिमांड कार्य सीहोर में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।

5- यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपरिहार्य कारणों से अवकाश अथवा प्रशिक्षण में जाते हैं तो इस दशा में उनकी रिमाण्ड ड्यूटी का संपादन प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

6- उक्त दिनांकों को संबंधित न्यायालय के कर्मचारीगण भी अपने-अपने कर्तव्य पद पर उपस्थित रहेंगे।

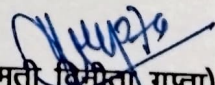
7- उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट में से किसी के भी स्थानांतरण होने की दशा में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा या उनके पद उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड कार्य संपन्न किया जावेगा।

8- यदि किसी अवकाश दिवस में किसी कारणवश परिवर्तन होता है तो उस अवकाश दिवस में नियत रिमाण्ड ड्यूटी को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जावेगा।

9- यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियत रिमांड ड्यूटी में किसी अपरिहार्य कारणवश परिवर्तन करना आवश्यक हो तो अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से लिखित में सहमति उपरान्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से रिमाण्ड तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा।

नोट :-

1- उक्त सूची में वर्णित किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की दशा में उनके स्थान पर पदस्थ कनिष्ठतम से वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्तानुसार रिमाण्ड कार्य संपादित किया जावेगा।


(श्रीमती विमला गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-सीहोर (म.प्र.)